भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ
फा. सं. 7/33/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 29.06.2024

जांच शुरूआत अधिसूचना
मामला सं. एसएसआर - 14/2023

विषय: कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्योरीफाइड थेरेफथेलिक एसिड" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 7/33/2023-डीजीटीआर: - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे "एडी नियमावली 1995" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेसर्स एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे आवेदक भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदक दायर किया है जिसमें कोरिया गणराज्य और थाईलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्योरीफाइड थेरेफथेलिक एसिड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) पर माजूदा पाटनरोधी शुल्क के निर्णायक समीक्षा की जांच की शुरूआत करने और शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले नहीं हटाया जाए तो वह उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसी के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा

करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पूर्ववर्ती जांचों की पृष्ठभूमि

3. चीन पीआर, यूरोपीय संघ, कोरिया पीआर और थाईलैंड, संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा 8 अक्टूबर, 2013 को शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच परिणाम 19 जून, 2014 को जारी हुए थे जिसमें संबंधित संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। पूर्वोक्त सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया और दिनांक 25 जुलाई, 2016 अधिसूचना संख्या 36/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, कोरिया आरपी और थाईलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

4. प्रारंभिक जांच परिणाम में केवल कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के विरुद्ध पुष्टि की की गई जबकि यूरोपीय संघ और चीन जन. गण. को पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर रखा गया क्योंकि इन दोनों देशों से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमा से कम थी। इस प्रकार अपने अंतिम जांच परिणामों (अधिसूचना संख्या 14/7/2013-डीजीएडी) दिनांक 7 अप्रैल 2015 के माध्यम प्राधिकारी ने केवल कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 23/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 मई, 2015 के माध्यम से लगाया गया।

5. प्राधिकारी ने अधिसूचना एफ. संख्या 7/36/2018-डीजीटीआर दिनांक 31 अक्टूबर 2018 के माध्यम से पहली निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। दिनांक 28 जून, 2019[1] के अपने अंतिम जांच परिणाम द्वारा प्राधिकारी ने आगामी पांच वर्ष की अवधि के लिए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जिसे बाद में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया और शुल्कों को आगामी पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात 24 जुलाई 2024 तक के लिए अधिसूचना संख्या 28/2019-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जुलाई 2019 के माध्यम से जारी रखा गया। तथापि, इन शुल्कों को केंद्र सरकार द्वारा 03/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 2 फरवरी, 2020 के माध्यम से हटाया गया था।

---

[1] कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित प्योरीफाइड थेरेफथेलिक एसिड के आयातों से संबंधित निर्णायम समीक्षा पाटनरोधी जांच ।

6. रिलायंस इंडस्ट्री लि॰ जो पूर्ववर्ती जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा था, ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 की एससीए 9909 में रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती दी। रद्द करने की अधिसूचना को खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार संमुक्ति की:

"93 .....

i. प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या 3/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 2 फरवरी, 2020 जिसमें संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को हटाया गया था, को एतदद्वारा खारिज किया जाता है और अलग रखा जाता है।

ii. प्रतिवादी संख्या 02 तत्काल अधिसूचना संख्या 28/2019 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जुलाई, 2019 के अनुसार पहले से लागू एडीडी को जारी रखने या अन्यथा के संबंध में निर्णायक समीक्षा की प्रक्रिया शुरू करेगा, जहां तक अधिसूचना संख्या 28/2016- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जुलाई, 2016 का संबंध है पांच वर्ष की अवधि इस याचिका के लंबित होने के दौरान पूरी हो गई है।

iii. .....

iv. चूंकि संख्या 3/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 2 फरवरी, 2020 को अलग कर दिया गया है। इसलिए मूल अधिसूचना संख्या 28/2019 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 जुलाई, 2019 पुन: स्थापित हो जाएगी और जांच के अधीन उत्पाद पर एडीडी लागू हो जाएगा।

7. तदनुसार, आवेदकों ने प्राधिकारी के समक्ष कोरिया गणराज्य और थाईलैंड से आयातित प्योरीफाइड थेरेफथेलिक एसिड से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध करते हुए प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

8. मूल जांच तथा पूर्ववर्ती समीक्षा जांच में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद वही है जो निम्नानुसार है:

" वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद जैसा कि प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना में परिभाषित किया था। प्योरीफाइड थेरेफथेलिक एसिड (पीटीए) है जिसमें इसकी किस्में - मीडिया क्वालिटी थेरेपथलिक एसिड (एमटीए) और क्वालीफाइड थेरेपथलिक एसिड (क्यूटीए) शमिल है। पीयूसी एक सफेद फ्री फ्लोविंग क्रिस्टलीय पाउडर है जो किसी दृश्य संदूषण से मुक्त है थेरेपथलिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रसायनिक सूत्र C6H4(COOH)2 है। यह 402 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध होता है और जल तथा अल्कोहल में कम घुलनशील है पीटीए पोलिस्टर चिप्स के उत्पादन में प्राथमिक कच्ची सामग्री है जिसे बाद में वस्त्र, पैकेजिंग, फर्निशिंग, उपभोक्ता सामान, रेजिन्स और कोटिंग्स के अनेक अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि क्यूटीए, एमटीए और पीटीए रासायनिक रूप से समान उत्पाद हैं और चूंकि इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होता है। इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे में क्यूटीए और एमटीए भी शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के उप शीर्ष 29173600 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे में किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।"

9. चूंकि वर्तमान आवेदन निर्णायक समीक्षा की शुरूआत के लिए है। इसलिए पीयूसी का दायरा मूल जांच में यथापरिभाषित जैसा ही रहेगा।

ग. समान वस्तु

10. आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। इसके अलावा, वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा से संबंधित है। समान वस्तु के मुद्दे की प्राधिकारी ने पहले ही मूल जांच में और पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में जांच की है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों में उत्पादित और आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

11. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले "घरेलू उद्योग" शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

12. यह आवेदन मेसर्स एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दाया किया गया है। आवेदकों के अलावा, एक अन्य उत्पादक इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है तो दोनों आवेदकों का एडी नियमावली 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार प्रमुख हिस्सा बनता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० और मेसर्स एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड के संबंधित पक्षकार ने पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। यह नोट किया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लि० मेसर्स एमसीपीआई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए आयातों की मात्रा भारतीय मांग और उत्पादन 1 प्रतिशत से कम है।

13. इसके मद्देनजर, तथा रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है तथा आवेदन 'घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से' किया गया है।

14. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार इन उत्पादकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को भी पूरा करता है। यद्यपि नियम 5(3) की अपेक्षाएं निर्णायक समीक्षा जांच पर लागू नहीं होती हैं।

ङ. संबद्ध देश

15. वर्तमान जांच में संबद्ध देश कोरिया गणराज्य और थाईलैंड हैं।

च. पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

16. आवेदकों ने अपने आवेदन में बताया है कि संबद्ध वस्तु की कीमतों संबंधी सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, पीयूसी का कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण कोड नहीं है। इसलिए संबद्ध वस्तु की संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यात कीमत पर भी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु भरोसा नहीं किया जा सकता है। जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर भारत में देय कीमत तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़ने के बाद संबद्ध देशों के लिए सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

ii. निर्यात कीमत

17. आवेदकों ने बाजार आसूचना के आधार पर सीआईएफ निर्यात कीमत का दावा किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत पर विचार किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों के आधार पर आयात कीमत पर विचार किया है। कारखानाद्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए मालभाड़ा, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार के लिए समायोजन किए गए थे।

iii. पाटन मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानाद्वार स्तर पर की गई है जो प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करता है कि संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

19. यथा परिकलित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है क्योंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से सूचना और साक्ष्य की प्राप्ति के बाद पाटन की संभावना भी निर्धारित करेंगे।

छ. क्षति और पाटन तथा क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति की संभावना

20. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में पीओआई में समग्र तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। मांग में वृद्धि के बावजूद आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में आवेदकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। संबद्ध देशों से कीमत कटौती सकारात्मक है। इसके अलावा, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु में आवेदकों की कीमतों का ह्रास / न्यूनीकरण किया है। आवेदकों के लाभ में गिरावट आई है।

21. आवेदकों ने संबद्ध देशों में अतिरिक्त क्षमताओं, और अधिक मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताओं और संबद्ध देशों में उत्पादकों के निर्यातोन्मुख होने, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, अन्य देशों द्वारा व्यापार उपचार उपायों को लागू करना और इन निर्यातों के कारण संभावित क्षति संबंधी सूचना दी है ताकि क्षति की संभावना को सिद्ध किया जा सके।

22. आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना प्रथमदृष्ट्या संबद्ध देशों से पाटन की पुनरावृत्ति और पाटनरोधी शुल्क हटने पर घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाती है।

ज. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

23. आवेदक के विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और पाटन तथा क्षति के जारी रहने / पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतदद्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. जांच की अवधि (पीओआई)

24. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 महीने) की है। जांच के लिए क्षति अवधि में वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-2023 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ञ. प्रक्रिया

25. इस निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करने वाली फा.सं. 7/36/2018-डीजीटीआर दिनांक 31 अक्टूबर 2018 के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे।

26. एडी नियमावली 1995 के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

27. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

28. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ठ. समय सीमा

32. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को एडी नियमावली 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा परिचालित आवेदन के अगोपनीय अंश जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in तथा उसकी प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@govcontractor.in को ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

33. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

ड. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

34. वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली 1995 के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

35. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

36. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और

सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है और गोपनीयता का दावा की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।

37. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषयवस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है और एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए ।

38. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ के अगोपनीय अंश के प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है ।

39. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या एडी नियमावली 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त कारण के विवरण के बिना किए गए किसी गोपनीयता के दावे को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

40. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

41. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई मेल के जरिए भेज दें । अनुरोध/ उत्तर / सूचना के अगोपनीय अंश का परिचालन नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ण. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तर्कसंगत अवधि या समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना देने से मना करता है और अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

31-12

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी